

CLP-01

June - Examination 2016

**Certificate in Consumer Protection
Law Examination****Consumerism, Consumer and the Law
in India****Paper - CLP-01****Time : 3 Hours]****[Max. Marks :- 100**

Note: The question paper is divided into three sections A, B and C. Write answer as per the given instructions.

निर्देश : प्रश्न पत्र अ, ब, और स तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section - A**10 × 2 = 20**

(Very Short Answer Type Questions)

Note: Answer **all** questions. As per the nature of the question you delimit answer in one word, one sentence or maximum upto 30 words. Each question carries 2 marks.

खण्ड - 'अ'

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिभाषित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

- 1) (i) National Commission
राष्ट्रीय आयोग
- (ii) Complainant
परिवादी
- (iii) Consumer
उपभोक्ता
- (iv) Unfair trade practices
अनुचित व्यापार व्यवहार
- (v) Deficiency
कमी
- (vi) Appropriate laboratory
समुचित प्रयोगशाला
- (vii) State forum
राज्य आयोग
- (viii) Lok Adalat
लोक अदालत
- (ix) Duties
कर्तव्य
- (x) District forum
जिला फोरम

Section - B**4 × 10 = 40**

(Short Answer Questions)

Note: Answer **any four** questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 10 marks.

(खण्ड - ब)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसिमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

- 2) Write the contents of a complaint.
परिवाद की विषयवस्तु लिखिए।
- 3) Definition of the consumer under the COPRA.
उपभोक्ता को अन्तर्गत COPRA परिभाषित कीजिए।
- 4) Who can file a complaint under the CPA ?
परिवाद कौन दायर कर सकता है? उपभोक्ता संरक्षण अधि. के अन्तर्गत।
- 5) Explain rights of consumer under consumer protection Act.
उपभोक्ता संरक्षण अधि. के अन्तर्गत उपभोक्ता के अधिकारों की विवेचना करो।
- 6) Explain the consumer buying goods for self employment in a consumer.
उपभोक्ता द्वारा स्व:रोजगार हेतु माल खरीदा है तो वह उपभोक्ता है? स्पष्ट करो।
- 7) Discuss the powers of State and National commission in settlement of disputes.
राष्ट्रीय आयोग के विवादों को निपटाने की शक्तियों की विवेचना कीजिए।
- 8) Discuss the composition and Jurisdiction of National commission.
राष्ट्रीय आयोग के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना करो।
- 9) Explain how media helps in consumer protection ?
समझाइये कि मीडिया उपभोगता संरक्षण में कैसे मदद करता है?

Section - C**2 × 20 = 40**

(Long Answer Questions)

Note: Answer **any two** questions. You have to delimit your each answer maximum upto 500 words. Each question carries 20 marks.

(खण्ड - स)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 500 शब्दों में परिसिमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

- 10) Discuss the origin of the consumer protection Act 1986. Briefly enumerate the various redressal agencies provided in the Act. उपभोक्ता संरक्षण अधि. 1986 के उद्भव की विवेचना कीजिए। उक्त अधि. के अन्तर्गत विभिन्न redressal agencies की विस्तृत विवेचना कीजिए।
- 11) Explain the composition of the State Commission and District Forum.
जिला फोरम व राज्य आयोग के गठन एवं क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करो।
- 12) Explain the remedies available of Consumer under Consumer Protection Act. 1986.
उपभोक्ता को अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध उपचारों की व्याख्या करो।
- 13) Explain the term consumer and deficiency in service in detail with the help of decided cases.
निर्णित वादों की सहायता से उपभोक्ता एवं सेवा त्रुटि शब्दों को विस्तार से समझाइये।